न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 11/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र विरधीचन्द जाति जैन निवासी जूनी चौकी गडरारोड, बाड़मेर (मैसर्स पवन कुमार बंशीधर एण्ड कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का मैनेजर)
2. विरधी चन्द प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स पवन कुमार बंशीधर एण्ड क0 कृषि उपज मण्डी बाड़मेर
3. गौतम चन्द मालू प्रोप्राईटर ऑफ फर्म मैसर्स महावीर सेल्स कॉर्पोरेशन, कृषि उपज मण्डी बाड़मेर
4. ललित कुमार कपूर खाद्य अनुज्ञापत्र धारक ऑफ मै0 कपूर ट्रेडर्स सी–87 सुभाष नगर, शास्त्री नगर जयपुर
5. मेघराज पुरोहित प्रोप्राईटर ऑफ मै0 इनोदया फूड्स प्रा0 लि0 शास्त्री नगर जयपुर
6. नवीन गोयल डारेक्टर ऑफ मै0 इनोदया फूड्स प्रा0 लि0 मिल स्टोर, पिपली, लदवा रोड, बिर मथाना, हरियाणा
7. धीरज गुप्ता डारेक्टर ऑफ मै0 इनोदया फूड्स प्रा0 लि0 मिल स्टोर, पिपली, लदवा रोड, बिर मथाना, हरियाणा

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कुन्दनसिंह चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 6 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक : 06.09.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उपधारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स पवन कुमार बंशीधर एण्ड कृषि उपज मण्डी बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **01.01.2022** को अलग–अलग पैकिंग में भरा हुआ खाद्य पदार्थ **घी शुभम (500 एमएल)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के चार पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1473** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी शुभम (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी शुभम (500 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी विधिक रूप से योग्यताधारक नहीं है तथा इस पद पर प्रार्थी की नियुक्ति वैध नहीं है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सैम्पल लेने का अधिकार नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति में स्वतंत्र गवाहों के अभाव में सैम्पल लिए हैं जो कि विधिसम्मत नहीं हैं। साथ ही खाद्य पदार्थ के लिए गये सैम्पल सीलबन्द हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में प्रकरण खारिज योग्य है। सैम्पल के मिथ्याछाप पाये जाने की स्थिति में सीजशुदा खाद्य पदार्थ संबंधित निर्माता को दुरूस्ती हेतु सुपुर्द किया जाना आवश्यक था फिर भी उक्त खाद्य पदार्थ को लम्बे समय तक रोककर रखने तथा निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन हुआ है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद में कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। अप्रार्थी संख्या 6 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कम्पनी द्वारा घी को पूर्व में नियमानुसार जांच करने के पश्चात ही बनाया गया तथा कई शहरों में उक्त घी की सप्लाई जाती है। आज दिन तक कभी मिथ्याछाप की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी की कम्पनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 66 के प्रावधानों के तहत किसी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए कम्पनी के कारोबार संचालक [illegible] रदायी व्यक्ति एवं कम्पनी दोनों जिम्मेदार होते हैं। नमूना घी शुभम पैक का [illegible] जिसका निर्माण मैसर्स इनोदया फूड प्राईवेट लिमिटेड मील स्टोर [illegible] किया था जिसे प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया गया [illegible] के न्यायिक दृष्टांत 2020(4) सीआरएलआर राजस्थान पेज [illegible] हिन्दुस्तान युनिलीवर बनाम स्टेट ऑफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

मध्यप्रदेश में पारित अनुसार कम्पनी को अभियोजित किये बिना उसके निर्देशकों को अभियोजित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त परिवाद निरस्त फरमाया जावे। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **15.12.2021** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का मानक स्तर **Absent** के मुकाबले Present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कारित अपराध के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के साथ–साथ विनियमों की पालना के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 पर संयुक्त रूप से **रूपये 2,00,000/–** तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 से 7 पर संयुक्त रूप से **रूपये 4,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:09:19 IST
Reason: SelfAttested